# कार्यालय अधिष्ठाता

## "स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.)

## वित्तीय वर्ष : 2022-23

## निविदा प्रपत्र (नियम एवं शर्ते)

स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.) एवं संत बाबा गुरू घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय, रायगढ़ (छ.ग.) में सुरक्षा व्यवस्था हेतु ई–निविदा आमंत्रण ।

# कार्यालय अधिष्ठाता

## स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.)

Bendrachuwa, Raigarh, Chhattisgarh,ph-07762-220742 E-mail: gmcraigarh.2013@gmail.com


क्रमांक / शा.चि.म. / क्रय / 2022-23 / 2913 रायगढ़ दिनांक 16/3/23

## / /ई–निविदा सूचना/ /

स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.) एवं संबद्ध संत बाबा गुरू घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय रायगढ़ (छ.ग.) दोनों संस्थाओं के लिए सुरक्षा व्यवस्था हेतु छत्तीसगढ़ शासन के ई–प्रोक्योरमेंट साईट www.eproc.cgstate.gov.in के माध्यम से ई–निविदा आमंत्रित किया जाता है –

| | | |
|---|---|---|
| निविदा प्रपत्र मूल्य - राशि रू. 3000.00 (शब्दों में: तीन हजार रूपये मात्र) | | |
| **अमानत राशि :–**<br>अमानत राशि का भुगतान निम्नानुसार किया जाना होगा। | | |
| **के नाम से** | **अमानत राशि के रूप में** | **अमानत राशि (रूपए में)** |
| अधिष्ठाता<br>स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय<br>चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.) | **डिमांड ड्राफ्ट** | **3,00,000/-<br>(तीन लाख रूपए मात्र)** |
| निविदा विक्रय प्रारंभ तिथि एवं समय | दिनांक 20.03.2023 को 11:00 AM बजे से | |
| ई–प्रोक्योरमेंट साईट www.eproc.cgstate.gov.in पर ऑनलाईन माध्यम से निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय | दिनांक 19.04.2023 को 11:59 AM बजे तक। | |
| भौतिक दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय | दिनांक 19.04.2023 को 3:00 PM बजे तक। | |
| निविदा खोलने की तिथि एवं समय | दिनांक 19.04.2023 को 4:00 PM बजे तक। | |

निविदा से संबंधित आवश्यक नियम एवं शर्तों के विस्तृत जानकारी हेतु, स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.) के वेवसाईट www.gmcraigarh.edu.in का भी अवलोकन किया जा सकता है।

16/3/23

**अधिष्ठाता**
**स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय**
**चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.)**

पृ.क्रमांक / शा.चि.म. / क्रय / 2022-23 / 2914-17 रायगढ़ दिनांक 16/3/23

**प्रतिलिपि :–**

1. संचालनालय, जनसंपर्क विभाग, रायपुर (छ.ग.) की ओर प्रदेश स्तरीय बहुप्रसारित 02 समाचार पत्रों में तथा राष्ट्रीय स्तर के 02 समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जाने हेतु प्रेषित।
2. संयुक्त संचालक एवं अस्पताल अधीक्षक, संत बाबा गुरू घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय रायगढ़ (छ.ग.) को सूचनार्थ प्रेषित।
3. ........................................................................अध्यक्ष / सदस्य क्रय समिति, चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.) की ओर सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. सहायक प्रोग्रामर, चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ की ओर निविदा सूचना / प्रपत्र महाविद्यालय के वेबसाईट www.gmcraigarh.edu.in एवं छत्तीसगढ़ शासन के ई–प्रोक्योरमेट साईट www.eproc.cgstate.gov.in में अपलोड करने हेतु पालनार्थ।

16/3/23

**अधिष्ठाता**
**स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय**
**चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.)**

1. <u>कार्य का संक्षिप्त विवरण</u> :–

निविदादाता द्वारा स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.) एवं संत बाबा गुरू घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय रायगढ़ (छ.ग.), बालक–बालिका छात्रावास, आवासीय परिसर एवं संस्थान की आवश्यकतानुसार अन्य स्थानों, महाविद्यालय तथा चिकित्सालय के अधिकारी, कर्मचारी, छात्र–छात्राओं, मरीजों और उनके परिजनों की चल अचल संपत्तियों, सामग्रियों की सुरक्षा के लिए 24 x 7 घंटे सुरक्षा सेवा प्रदाय करना अनिर्वाय होगा।

2. **निविदादाता के न्यूनतम आवश्यक योग्यता :–**

निम्नलिखित न्यूनतम मापदण्डों को पूरा करने वाले निविदादाता आवश्यक दस्तावेजों के साथ निविदा में भाग लेने हेतु पात्र होंगे :–

2.1 निविदादाता के पास शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय/300 या अधिक बिस्तर वाले शासकीय चिकित्सालय/अन्य शासकीय संस्थान में सफलतापूर्वक सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने हेतु कम से कम 03 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। तत्संबंध में सक्षम प्राधिकारी/संस्थान द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र एवं प्रदर्शन प्रमाण पत्र (Performance Certificate) एवं कार्य–आदेश की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है जिस पर निविदादाता के स्वहस्ताक्षरित एवं संस्थान का सील मोहर अंकित होना अनिवार्य होगा।

2.2 निविदादाता फर्म/कंपनी/एजेंसी को विगत तीन वित्तीय वर्षों में न्यूनतम 02 करोड़ औसत वार्षिक टर्नओवर <u>अनुलग्न–03 प्रारूप अनुसार चार्टेड एकाउंटेड द्वारा अभिप्रमाणित</u> प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

2.3 निविदादाता फर्म/कंपनी/एजेंसी के पास वैध जी.एस.टी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

2.4 आवेदनकर्ता फर्म/कंपनी/एजेंसी का ई.पी.एफ. और ई.एस.आई.सी. वैध पंजीयन प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

2.5 सफल निविदादाता को दर अनुबंध पूर्व 07 दिवस के भीतर वैध श्रम अनुज्ञप्ति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

2.6 निविदादाता द्वारा श्रम नियमों का पूर्णतः पालन करना होगा। किसी भी परिस्थिति में बाल श्रम या बाल श्रमिक स्वीकार नहीं किया जायेगा।

2.7 लेबर लॉ, टैक्सेस, आयकर, ई.पी.एफ., ई.एस.आई.सी., किसी भी प्रकार के पुलिस प्रकरण इत्यादि के लिए निविदादाता जिम्मेदार होगा।

2.8 निविदादाता द्वारा निविदा में उल्लेखित समस्त नियमों एवं शर्तों को स्वीकार एवं पालन करना अनिवार्य होगा। निविदा की कार्यवाही प्रारंभ होने पश्चात् निविदा की स्वीकृति या अस्वीकृति के संबंध में किसी भी प्रकार के पूछताछ, लिखित या मौखिक रूप में स्वीकार्य योग्य नहीं होगा एवं उस पर विचारणीय नहीं होगा।

3. **व्यक्तिगत एवं वित्तीय क्षमताऐं :–**

3.1 **व्यक्तिगत क्षमता :–**

कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण रूप से संचालित करने के लिए निविदादाता के पास योग्य एवं अनुभवी कर्मचारी होना अनिवार्य है। कर्मचारियों की सूची और प्रमुख अधिकारियों का बायोडाटा स्पष्ट रूप से, पदनाम, कार्य सहित कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

3.2 **वित्तीय क्षमता :–**

पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2019-2020, 2020-21, 2021-22) के लिए चार्टड एकाउन्टेण्ट से लेखा परिक्षित बैलेंस शीट, शुद्ध लाभ एवं शुद्ध हानि खाता सहित, कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, जिससे निविदादाता की वित्तीय स्थिति प्रदर्शित हो सके।

**4. निविदा के साथ प्रस्तुत कि जाने वाले अन्य जानकारी :–**

निविदा के साथ अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना है, जिसका लेख **<u>प्री–क्वालिफिकेशन बीड</u>** में सूची–बद्ध किया गया है।

**5. अमानत राशि तथा सुरक्षा निधि प्रस्तुत करने के संबंध में :–**

अमानत राशि निम्नानुसार प्रस्तुत किया जाना है :–

5.1 निविदादाता को निविदा के अंतर्गत प्री–क्वालिफिकेशन बीड के साथ अमानत राशि रू. **03 लाख** की **<u>डिमांड ड्राफ्ट</u>**, **"अधिष्ठाता, स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.)"** के नाम पर हो एवं जो भारतीय स्टेट बैंक अथवा अनुसूचित बैंक से जारी किया गया हो, तैयार कर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

5.2 सफल निविदादाता द्वारा प्रस्तुत अमानत राशि रोककर शेष असफल निविदादाता की अमानत राशि **<u>15</u>** <u>दिवस</u> में वापस कर दिया जावेगा।

5.3 निविदा में पात्र सफल निविदाकार को स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.) एवं संत बाबा गुरू घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा पृथक–पृथक कार्य–आदेश जारी करने के पूर्व पृथक–पृथक सुरक्षा निधि राशि रू. **<u>07 लाख</u>** की **<u>डिमांड ड्राफ्ट</u>** के रूप में, जो भारतीय स्टेट बैंक अथवा अनुसूचित बैंक से जारी किया गया हो, **"अधिष्ठाता, स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.)"** एवं **"संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, संत बाबा गुरू घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय रायगढ़ (छ.ग.)"** के नाम पर तैयार कर संबंधित संस्थान में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

5.4 अमानत राशि एवं सुरक्षा निधि निविदा कार्यवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने के एक महीने पश्चात वापस कर दिया जावेगा।

**6. निविदादाता उक्त मापदण्ड को पूर्ण करते हुए भी निम्न कारणों से अयोग्य घोषित किया जा सकता है –**

6.1 निविदा कें अंतर्गत प्रस्तुत दस्तावेज फार्म, कथन/बयान एवं अनुलग्न में किसी भी प्रकार के भ्रामक/गलत जानकारी प्रस्तुत करने पर।

6.2 खराब प्रदर्शन का रिकार्ड जैसे काम छोड़ना, अनुबंध नहीं करना या अनुबंध को पूरा करने में अत्यधिक समय लगाना, पूर्व में न्यायिक प्रक्रिया लंबित होना, वित्तीय विफलताओं आदि।

6.3 पूर्व में चिकित्सा महाविद्यालय, शासकीय चिकित्सालय एवं अन्य शासकीय संस्थान में सेवा दे रहे फर्म/कंपनी/एजेंसी का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं पाये जाने पर।

7. निविदादाता फर्म/कंपनी/एजेंसी द्वारा श्रम एवं सामग्री की आवश्यकता, कार्य को प्रभावित करने वाले अन्य मामलों के संबंध में प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने हेतु स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.) एवं संत बाबा गुरू घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय रायगढ़ (छ.ग.) का पूर्व निरीक्षण किया जा सकता हैं। (कार्यस्थल का निरीक्षण करने हेतु संस्था को सूचित करना एवं अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।)

7.1 निविदा प्रस्तुत करने के संबंध में होने वाले समस्त व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जावेगा।

**8.** यदि निविदादाता द्वारा दी जाने वाली जानकारी निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने पश्चात गलत पायी जाती है तो संबंधित निविदादाता द्वारा प्रस्तुत निविदा निरस्त करते हुए जमा अमानत राशि एवं सुरक्षा निधि राजसात कर एवं फर्म को काली सूची में शामिल करने की कार्यवाही की जावेगी एवं इसका उल्लेख अनुभव प्रमाण पत्र में किया जावेगा।

8.1 अधिष्ठाता, स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.), को निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुत जानकारी/विवरण को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करने/कराने का अधिकार होगा।

**9.** आमंत्रित निविदा को अधिष्ठाता, स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा बिना कोई कारण बताये किसी भी समय निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा एवं तत्संबंध में निविदादाता द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।

**10. अर्हता संबंधी जानकारी का अद्यतन होना** :–

निविदादाता को अर्हता संबंधी मापदण्ड को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वित्तीय दस्तावेजों का अद्यतन होना आवश्यक है एवं समय–समय पर दस्तावेजों का नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य है।

**11. निविदा प्रस्तुत करना** :–

प्री–क्वालिफिकेशन संबंधित दस्तावेजों एवं प्राईस बीड छत्तीसगढ़ शासन के ई–प्रोक्योरमेंट साईट www.eproc.cgstate.gov.in के माध्यम से निर्धारित तिथि एवं समय के पूर्व प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है तथा प्री–क्वालिफिकेशन बीड में प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज की हार्ड कॉपी एवं अमानत राशि (शब्दों में : तीन लाख रूपये मात्र) की (**डिमांड ड्राफ्ट**) की मूल प्रति निर्धारित तिथि एवं समय पर महाविद्यालय में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

**12. सामान्य दिशा–निर्देश** :–

12.1 निविदादाता फर्म/कंपनी/एजेंसी द्वारा निविदा के अंतर्गत प्रस्तुत प्री–क्वालिफिकेशन बीड में सफल निविदादाता ही निविदा के अगले चरण के लिए पात्र होगें।

12.2 यदि कोई फर्म/कंपनी/एजेंसी एक से अधिक निविदा प्रस्तुत करती है तो फर्म/कंपनी/एजेंसी को निविदा प्रक्रिया से अयोग्य घोषित किया जावेगा।

12.3 संयुक्त–फर्म/कंपनी/एजेंसी को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।

12.4 निविदा के संबंध में प्री–क्वालिफिकेशन बीड में सफल/असफल निविदादाता को किसी भी प्रकार का पत्राचार नहीं किया जावेगा और ना ही प्री–क्वालिफिकेशन बीड में सफल/असफल निविदादाता द्वारा प्रेषित पत्र पर विचार किया जावेगा।

**13. अनुबंध दस्तावेज और जानकारी का उपयोग :–**

13.1 सफल निविदादाता, निविदा प्राधिकारी की पूर्व लिखित सहमति के बिना, अनुबंध या उसके किसी भी प्रावधान या उसके संबंध में निविदा प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई किसी भी जानकारी का प्रगटीकरण सफल निविदादाता द्वारा उनके अधिकृत व्यक्ति के अलावा किसी अन्य फर्म/कंपनी/एजेंसी को नहीं करेगा।

13.2 सफल निविदादाता द्वारा तैनात सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा लापरवाही बरतने की स्थिति में, अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.) के पास अनुबंध को तत्काल समाप्त करने अथवा कोई अन्य कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

**14.** सफल निविदादाता को "स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.)" एवं "संत बाबा गुरू घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय रायगढ़ (छ.ग.)" में सुरक्षा व्यवस्था हेतु जारी कार्य–आदेश के पूर्व **"दर/कार्य अनुबंध"** राशि रू. 100 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी से अभिप्रमाणित कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

16/3/23

**अधिष्ठाता**
**स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय**
**चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.)**

# नियम एवं शर्तें

1. निविदादाता द्वारा स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.) एवं संत बाबा गुरू घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय रायगढ़ (छ.ग.), बालक–बालिका छात्रावास एवं आवासीय परिसर एवं संस्थान की आवश्यकतानुसार अन्य स्थानों की सुरक्षा एवं महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के अधिकारी, कर्मचारी, छात्र–छात्राओं, मरीज और उनके परिजनों के चल अचल संपत्तियों, सामाग्रियों की सुरक्षा के लिए **24 x7** घंटे सुरक्षा सेवा प्रदाय करना अनिवार्य होगा। कुशल संचार व्यवस्था के लिए तैनात सुरक्षा कर्मचारी को सफल निविदादाता द्वारा कम से कम 06 वॉकी–टॉकी, प्रदाय करना अनिवार्य होगा तथा उसके व्यय का वहन भी निविदादाता स्वयं करेगा।
2. सफल निविदादाता **अनुलग्न–02** में दर्शित सुरक्षा कर्मचारियों की संख्या अनुसार अनुबंध के तहत् अपने दायित्व एवं कर्तव्य का निर्वहन करेगा। नियुक्त समस्त सुरक्षा कर्मचारियों के स्वास्थ्य अच्छा एवं कोविड वैक्सिनेटेड होना अनिवार्य है। हिन्दी/अंग्रेजी एवं क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होना और शिष्ट होना अनिवार्य है।
3. सुरक्षा व्यवस्था हेतु निविदा की वैधता अवधि अनुबंध निष्पादित दिनांक से आगामी 01 वर्ष के लिए वैध रहेगा। अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.), क्रय–समिति, चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.) एवं संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, संत बाबा गुरू घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय रायगढ़ (छ.ग.) के निर्णय उपरांत आवश्यकतानुसार अनुबंध की अवधि बढ़ाई जा सकती है।
4. सफल निविदादाता द्वारा अनुबंध के तहत् अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों को पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रशिक्षित एवं सक्षम सुरक्षा कर्मचारियों को वर्दी में, आई.डी. कार्ड, डंडे, सिटी एवं किट इत्यादि सहित तैनात किया जाना अनिवार्य है। जिस पर होने वाले व्यय का वहन निविदादाता द्वारा किया जावेगा।
5. स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.) एवं संत बाबा गुरू घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय रायगढ़ (छ.ग.) के लिए मानक अनुसार **अनुलग्न–02** में दर्शित सुरक्षा अधिकारी/बाउंसर/सुरक्षा सुपरवाईजर एवं सुरक्षा कर्मी की संख्या में आवश्यकतानुसार कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है।
6. सफल निविदादाता द्वारा अनुबंध अनुसार सुरक्षा व्यवस्था कार्य का संपादन, संतोषजनक नहीं पाये जाने पर अधिष्ठाता, स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा संबंधित निविदादाता फर्म/कंपनी/एजेंसी को 01 माह पूर्व सूचना देकर अनुबंध समाप्त कर दिया जावेगा एवं निविदा में प्रस्तुत अमानत राशि एवं सुरक्षा निधि राजसात कर काली सूची में शामिल करने की कार्यवाही की जावेगी एवं असंतोषजनक कार्य का उल्लेख संबंधित के अनुभव प्रमाण पत्र में किया जावेगा।
7. सफल निविदादाता द्वारा तैनात सुरक्षा कर्मचारियों के स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र (मेडिकल फिटनेश सर्टिफिकेट), पुलिस चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र, शैक्षणिक दस्तावेज, वैध आधार कार्ड, मतदाता परिचय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साईज फोटो, बायोडाटा सहित **अनुलग्न –04** अनुसार जमा करना अनिवार्य है।

8. सफल निविदादाता द्वारा यदि तैनात सुरक्षा कर्मचारी को हटाकर किसी अन्य कर्मचारी को तैनात किया जाता है तो इसकी सूचना संस्थानुसार अधिष्ठाता, स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.) तथा संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, संत बाबा गुरू घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय रायगढ़ (छ.ग.) को दिया जाना अनिवार्य होगा। परिवर्तित सुरक्षा कर्मचारी के स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र (मेडिकल फिटनेश सर्टिफिकेट), पुलिस चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र, योग्यता प्रमाण पत्र, वैध आधार कार्ड, मतदाता परिचय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साईज फोटो, बायोडाटा सहित जमा करना अनिवार्य है।

9. सफल निविदादाता द्वारा अनुबंध अनुसार सुरक्षा कर्मचारी निर्धारित संख्या में तैनात किया जाना अनिवार्य है।

10. सफल निविदादाता द्वारा स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.) एवं संत बाबा गुरू घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय रायगढ़ (छ.ग.) को आपातकालीन परिस्थिति में आवश्यक अतिरिक्त मैनपॉवर 02 से 03 दिवस के भीतर उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।

11. निविदादाता द्वारा तैनात किए जाने वाले सुरक्षा कर्मचारी के कर्तव्यों एवं जिम्मेदारी को **<u>अनुलग्न – 01</u>** में परिभाषित किया गया है तथा वे अनुबंध अनुसार अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

12. <u>सभी सुरक्षा कर्मचारियों की **उम्र 21 से 45** वर्ष के बीच होना अनिवार्य है। पुरूष गार्ड की ऊंचाई कम से कम 5'.6" फिट होना अनिवार्य है। सुरक्षा कर्मचारियों का आचरण अच्छा एवं कार्य में प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। आवश्यक स्थानों पर महिला सुरक्षा कर्मचारी तैनात करना अनिवार्य होगा।</u>

13. निविदादाता द्वारा स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.) एवं संत बाबा गुरू घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय रायगढ़ (छ.ग.), बालक–बालिका छात्रावास एवं आवासीय परिसर की सुरक्षा एवं महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के अधिकारी, कर्मचारी, छात्र–छात्राओं, मरीजों और उनके परिजनों की चल–अचल संपत्तियों, सामाग्रियों की चोरी या नुकसान होने की सूचना अधिष्ठाता, स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.) एवं संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक संत बाबा गुरू घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय रायगढ़ (छ.ग.) कार्यालय को तत्काल लिखित सूचना के साथ पुलिस को देना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के परामर्श से पुलिस को मामले की रिपोर्ट करने एवं एफ.आई.आर. दर्ज करने के लिए निविदादाता स्वयं जिम्मेदार होगा तथा उक्त मामलों के त्वरित निपटान हेतु तार्किक और कानूनी निष्कर्ष के लिए पुलिस के साथ अनुवर्ती कार्यवाही करेगा।

14. पुलिस जांच अनुसार यदि चोरी/हानि निविदादाता के सुरक्षा कर्मचारियों के मिलिभगत/लापरवाही के कारण हुई है तो सफल निविदादाता स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.) एवं संत बाबा गुरू घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय रायगढ़ (छ.ग.) में हुई चोरी/हानि की क्षतिपूर्ति का वहन सफल निविदादाता को ही करना अनिवार्य होगा।

15. सफल निविदादाता को उनके द्वारा तैनात किये जाने वाले सुरक्षा अधिकारी/सुरक्षा सुपरवाईजर/ बाउंसर/सुरक्षा कर्मी के रूप में स्थानीय व्यक्तियों को प्राथमिकता देना अनिवार्य होगा।

16. सफल निविदादाता द्वारा तैनात समस्त सुरक्षा कर्मचारी को फायर एण्ड सेफ्टी संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त होना अनिवार्य है।

17. स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.) एवं संत बाबा गुरू घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा सुरक्षा कर्मचारियों हेतु आवश्यक फर्नीचर निविदादाता को प्रदान किया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रदान किए गए फर्नीचर को एक पृथक रजिस्टर में इंद्राज किया जायेगा। अनुबंध समाप्ति पश्चात उक्त प्रदाय किए गए फर्नीचर को यथास्थिति में वापस करना अनिवार्य होगा। यथास्थिति में फर्नीचर वापस नहीं करने पर फर्नीचर के मूल्य की वसूली सफल निविदादाता से की जावेगी।

18. सफल निविदादाता द्वारा तैनात सुरक्षा कर्मचारी निविदादाता के प्रत्यक्ष नियंत्रण एवं देखरेख के अधीन रहेंगें। जो चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के सुरक्षा संबंधित कार्यो को बाधित किये बिना अपनी सेवाएँ देंगें।

19. सफल निविदादाता द्वारा अपने सुरक्षा कर्मचारियों के अभिलेख जैसे–उपस्थिति पत्रक, अवकाश संबंधित अभिलेख, वेतन पर्ची इत्यादि का लेखा–जोखा रखना अनिवार्य होगा, जो आवश्यकता पड़ने पर स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.) एवं संत बाबा गुरू घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय रायगढ़ (छ.ग.) को निरीक्षण/जांच के लिए उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

20. सफल निविदादाता द्वारा तैनात किये जाने वाले सुरक्षा कर्मचारियों के उपस्थिति हेतु ''बायोमेट्रीक अटेंडेंस डिवाईस'' का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा एवं उक्त बायोमेट्रीक अटेंडेंस डिवाईस उपस्थिति पत्रक अनुसार ही भुगतान किया जावेगा। उक्त बायोमेट्रीक अटेंडेंस डिवाईस निविदादाता द्वारा स्वयं के व्यय पर संस्था प्रमुख द्वारा चिन्हित स्थानों पर लगाया जाना है।

21. सफल निविदादाता द्वारा तैनात किए गए सुरक्षा कर्मचारियों के उपस्थिति दर्ज किए गए बायोमेट्रीक उपस्थिति पत्रक एवं दैनिक उपस्थिति रजिस्टर को स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.) एवं संत बाबा गुरू घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय रायगढ़ (छ.ग.) के अधीनस्थ सुरक्षा शाखा के प्रभारी अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाना अनिवार्य है और इसे मजदूरी भुगतान के लिए अंतिम अभिलेख/रिकार्ड माना जाएगा।

22. सफल निविदादाता द्वारा तैनात किए जाने वाले समस्त सुरक्षा कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय अनुबंध अनुसार सभी आवश्यक नियम एवं शर्तों का पालन करते हुए, सावधानी बरतते हुए, उचित एवं विवेकपूर्ण कार्य करेंगे एवं समस्त जनों से शिष्टतापूर्ण व्यवहार करेंगे।

23. सफल निविदादाता को महाविद्यालय एवं चिकित्सालय द्वारा जारी किए गए समस्त निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

24. सफल निविदादाता को अपने अधीनस्थ सुरक्षा कर्मचारियों को वेतन भुगतान उनके बैंक खाते के माध्यम से किया जावेगा। जिसमें से EPF, ESIC के कर्मचारी अंश को जमा करते हुए शेष वेतन का भुगतान बैंक खाते में किया जावेगा।

25. सफल निविदादाता को अनुबंध के तहत अपने दायित्वों एवं कर्तव्यों को पूरा करने के लिए समय–समय पर लगने वाले आवश्यक वैध प्रमाण पत्र इत्यादि संबंधित शासकीय अधिकारियों से प्राप्त कर इस संस्था में जमा किया जाना अनिवार्य होगा। निविदादाता न्यूनतम मजदूरी का भुगतान, करों का भुगतान, ई.पी.एफ. ई.एस.आई.सी. के भुगतान एवं अन्य वैधानिक आवश्यकताओं, समय–समय पर समस्त आर्थिक दायित्वों के पालन के लिए जिम्मेदार होगा। निविदादाता के विफलता के लिए, स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.) एवं संत बाबा गुरू घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय रायगढ़ (छ.ग.) किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा एवं सफल निविदादाता के किसी भी विफलता के लिए महाविद्यालय एवं चिकित्सालय द्वारा दण्डित किया जा सकता है एवं विफलता का समाधान भी निविदादाता को ही स्वयं करना होगा।

26. सफल निविदादाता द्वारा सुरक्षा कर्मचारियों को यदि प्रतिमाह वेतन, ई.पी.एफ., ई.एस.आई.सी. का भुगतान नहीं किया जाता है तो संबंधित फर्म द्वारा जमा अमानत राशि/सुरक्षा निधि राजसात करते हुए काली सूची में शामिल कर, अनुभव प्रमाण पत्र में इसका उल्लेख किया जावेगा एवं कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

27. वर्तमान वेतन देयक प्रस्तुत करते समय सुरक्षा कर्मचारियों को पूर्व महीने में किए गए भुगतान की जानकारी निम्न सारणी में अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा –

| क्रं. | कर्मचारी का नाम | पिता का नाम | बैंक शाखा का नाम | खाता क्रमांक | भुगतान किये जाने वाले कुल वेतन | कटौति का विवरण (EPF) | | कटौति का विवरण (ESIC) | | खाते में जमा किए जाने वाले वेतन [06-(07+09)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | कर्मचारी का अंशदान | नियोक्ता का अंशदान | कर्मचारी का अंशदान | नियोक्ता का अंशदान | |
| ***01*** | ***02*** | ***03*** | ***04*** | ***05*** | ***06*** | ***07*** | ***08*** | ***09*** | ***10*** | ***11*** |

28. सफल निविदादाता द्वारा तैनात सुरक्षा कर्मचारी 08 घण्टें के शिफ्ट/पाली में (भोजन अवकाश सहित) काम करेंगे।

29. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय–समय पर यथासंशोधित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार कर्मचारी को नियोजित करना एवं मजदूरी/वेतन भुगतान की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। विभिन्न श्रम और अन्य कानूनों में निर्दिष्ट सभी वैधानिक आवश्यकताओं का पालन करना अनिवार्य है।

30. सफल निविदादाता द्वारा प्रस्तुत मासिक देयक में, कार्यरत सुरक्षा कर्मचारियों के सप्ताहिक अवकाश का मजदूरी/वेतन समाहित रहेगा। महाविद्यालय एवं चिकित्सालय द्वारा किसी भी प्रकार से अतिरिक्त लागत का भुगतान निविदादाता को नहीं किया जावेगा।

31. सुरक्षा कर्मचारी कर्तव्य के दौरान पूर्णतः सावधानी पूर्वक कार्य का निर्वहन करेगा एवं इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।

32. निविदा प्रक्रिया के अंतर्गत न्यूनतम निविदा दर प्रदायकर्ता फर्म द्वारा दर/कार्य–अनुबंध निष्पादित कर कार्यालय में प्रस्तुत करने पश्चात् ही "स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.)" एवं "संत बाबा गुरू घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय रायगढ़ (छ.ग.)" द्वारा पृथक–पृथक कार्य–आदेश जारी किया जावेगा एवं कार्य–आदेशानुसार प्रतिमाह के **प्रथम सात दिवस के भीतर** देयक, संस्थानुसार "अधिष्ठाता, स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.)" एवं "संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, संत बाबा गुरू घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय रायगढ़ (छ.ग.)" के नाम से तैयार कर प्रस्तुत किया जाना होगा। प्रस्तुत देयक के साथ पिछले माह के वेतन, ई.पी.एफ., ई.एस.आई.सी. भुगतान के रसीद/चालन की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

33. सफल निविदादाता द्वारा तैनात सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा कर्तव्य के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही, हिंसा, नशीले पदार्थ का सेवन, अधिकारी/कर्मचारी, छात्र–छात्राओं, मरीज एवं उनके परिजन से दुर्व्यवहार, असामाजिक कृत्य करते पाये जाने पर संबंधित सुरक्षा कर्मचारियों को तत्काल हटाया जाना अनिवार्य होगा एवं उसकी समस्त जिम्मेदारी/जवाबदेही निविदादाता के स्वयं की होगी।

34. सफल निविदादाता महिला/पुरूष सुरक्षा अधिकारी/सुरक्षा सुपरवाईजर/बाउंसर/सुरक्षा कर्मी की आवश्यकतानुसार आपूर्ति करेगा। "अधिष्ठाता, स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.)" एवं "संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, संत बाबा गुरू घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय रायगढ़ (छ.ग.)", को निविदादाता द्वारा तैनात कर्मचारियों के मैनपॉवर को बढ़ाने एवं घटाने का अधिकार होगा। मैनपॉवर की तैनाती में किसी भी बदलाव की स्थिति में महाविद्यालय एवं चिकित्सालय या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा पूर्व लिखित सूचना दी जाएगी एवं प्राप्त लिखित सूचना के 02 से 03 दिवस के भीतर आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।

35. सफल निविदादाता द्वारा रिकार्ड हेतु उपयोग में लाये जाने वाले समस्त रजिस्टर एवं रिकार्ड, आडिट इत्यादि के लिए आवश्यक होने पर स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.) एवं संत बाबा गुरू घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय रायगढ़ (छ.ग.) के अधिकारियों को सफल निविदादाता द्वारा विधिवत प्रमाणित प्रति, निःशुल्क उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा। यदि निविदादाता के रिकार्ड/अभिलेखों में कुछ कमियॉ पायी जाती है एवं कमियों का निराकरण हेतु चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय रायगढ़ (छ.ग.) के प्राधिकारी द्वारा, निर्देश दिया जाता है तो निविदादाता को वैधानिक आवश्यकता का पालन करना होगा।

36. सफल निविदादाता द्वारा तैनात कर्मचारियों को किए गए अग्रिम भुगतान/कटौती के संबंध में किसी भी विवाद में महाविद्यालय एवं चिकित्सालय रायगढ़ (छ.ग.) का कोई दायित्व नहीं होगा। संपूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। इस संबंध में किसी भी प्रकार का मौखिक या लिखित पत्राचार पर महाविद्यालय एवं चिकित्सालय द्वारा विचार नहीं किया जावेगा।

37. माह के कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर देयक में से आवश्यकतानुसार कटौती किया जावेगा, जिसके लिए निविदादाता स्वयं जिम्मेदार होगा।

38. सुरक्षा कर्मचारी के अवकाश/अनुपस्थित होने की स्थिति में एजेंसी ऐसी अनुपस्थिति की भरपाई के लिए उपयुक्त वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। ऐसी परिस्थिति में फर्म/कंपनी/एजेंसी, अवकाश में रहने वाले सुरक्षा कर्मचारी के स्थान पर रिजर्व सुरक्षा कर्मचारी प्रदाय किया जाना अनिवार्य होगा। इसके लिए अलग से भुगतान नहीं किया जावेगा।

39. सफल निविदादाता के वरिष्ठ स्तर का एक प्रतिनिधि सप्ताह में कम से कम दो बार, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं शासकीय चिकित्सालय रायगढ़ (छ.ग.) परिसर में सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा दी जाने वाली सेवाएँ/कर्तव्यों की समीक्षा करेगा। सप्ताहिक दौरे के दौरान एजेंसी के वरिष्ठ प्रतिनिधि, को इस संबंध में अधिष्ठाता, स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.) तथा संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, संत बाबा गुरू घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय रायगढ़ (छ.ग.) से चर्चा एवं वार्ता करना अनिवार्य है। ताकि निविदादाता द्वारा तैनात सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा दी जाने वाली सेवाएँ/कर्तव्यों में यदि कोई कमियॉ पाई गई हो तो उसका निवारण किया जाना अनिवार्य है।

40. सफल निविदादाता को कार्यादेश जारी किये जाने पश्चात यदि निविदादाता द्वारा कार्य करने से अस्वीकार किया जाता है तो, उनके द्वारा जमा अमानत राशि एवं सुरक्षा निधि राजसात कर काली सूची में शामिल करने की कार्यवाही की जाएगी।

41. सफल निविदादाता विभिन्न कानूनों/अधिनियमों/नियमों का अनुपालन (जो लागू हो) सुनिश्चित करेगा, जिसमें निम्नलिखित एवं उनके पुनः अधिनियम/संशोधन शामिल है लेकिन इन्ही तक सीमित नहीं है :–

    1. मजदूरी अधिनियम 1936 का भुगतान
    2. कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952
    3. फैक्ट्री अधिनियम 1948
    4. अनुबंध श्रम (विनियमन) अधिनियम 1970
    5. बोनस अधिनियम 1965 का भुगतान
    6. ग्रेज्युटी भुगतान अधिनियम 1972
    7. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948
    8. बाल रोजगार अधिनियम 1938
    9. मोटर वाहन अधिनियम 1988
    10. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948
    11. निजी सुरक्षा एजेंसियां (विनियमन) अधिनियम 2005

42. निविदादाता द्वारा नियोजित समस्त सुरक्षा कर्मचारी का प्रशिक्षित होना अनिवार्य है।

43. निविदादाता के पास छत्तीसगढ़ राज्य से निजी सुरक्षा एजेंसी विनियमन अधिनियम 2005 (PSARA) के तहत वैध लाइव लाइसेंस होना चाहिए।

44. निविदा के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किये जाने वाले समस्त प्रमाण पत्र एवं लाइसेंस, जीवित एवं वैध होना अनिवार्य है।

45. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं लाइसेंस की वैधता, अनुबंध अवधि में समाप्त होती है तो, समाप्ति के एक माह के भीतर नवीनीकरण दस्तावेज एवं लाईसेंस प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा निविदादाता को जारी कार्यादेश निरस्त कर जमा अमानत राशि एवं सुरक्षानिधि राजसात करते हुए काली सूची में शामिल करने की कार्यवाही की जाएगी।

46. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में "अधिष्ठाता, स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.)" एवं "संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, संत बाबा गुरू घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय रायगढ़ (छ.ग.)" का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

47. न्यायालयीन वाद–विवाद की स्थिति में प्रकरण रायगढ़ (छ.ग.) न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होगा।

48. सुरक्षा व्यवस्था हेतु विभिन्न वर्ग के लिए न्यूनतम मासिक मजदूरी/वेतन भुगतान कलेक्टर जिला–रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा निर्धारित " जोन 'ब' " एवं श्रमिकों के वर्ग अनुसार देय होगा, जिसका पुनरीक्षण समय–समय पर कलेक्टर जिला–रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा जारी आदेशों के अधीन होगा।

49. सफल निविदादाता द्वारा दी जाने वाली सेवाऍं में यदि कमी पायी जाती है तो संबंधित फर्म द्वारा जमा अमानत राशि एवं सुरक्षा निधि राजसात कर संबंधित फर्म को काली सूची में शामिल कर, इसका उल्लेख अनुभव प्रमाण पत्र में किया जावेगा।

**अधिष्ठाता**
**स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय**
**चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.)**

**निविदा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया :–**

सुरक्षा व्यवस्था हेतु निविदा छत्तीसगढ़ शासन के ई–प्रोक्योरमेंट वेबसाईट www.eproc.cgstate.gov.in के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना है। निविदा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया दो चरणों में संपादित किया जावेगा। **प्रथम चरण** प्री–क्वालिफिकेशन बीड का होगा, जिसमें अर्हता संबंधि दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना होगा एवं **भौतिक दस्तावेज (अमानत राशि की मूल प्रति सहित)** एक बड़े लिफाफा में भरकर स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक/ पी.एण्ड.टी विभाग द्वारा अधिकृत कोरियर या व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में निर्धारित तिथि एवं समय के पूर्व उपस्थित होकर प्रस्तुत किया जा सकता है एवं **द्वितीय चरण प्राईस बीड** का होगा, जिसमें ई–प्रोक्योरमेंट वेबसाईट www.eproc.cgstate.gov.in के माध्यम से ऑनलाईन प्राईस/दर प्रस्तुत किया जाना होगा। (हार्ड कॉपी में प्रस्तुत दर स्वीकार्य नहीं होगा।)

**(01) प्री–क्वालिफिकेशन बिड के अंतर्गत निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना होगा –**

1. छत्तीसगढ़ शासन के ई–प्रोक्योरमेंट साईट www.eproc.cgstate.gov.in के माध्यम सें निविदा प्रस्तुत करते समय भुगतान किये गये **निविदा शुल्क राशि रू. 3000.00** (शब्दों में : राशि रू. तीन हजार मात्र) भुगतान की रसीद की छायाप्रति स्वहस्ताक्षरित एवं संस्थान के सील सहित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। (निविदा शुल्क की राशि वापसी योग्य नहीं है।)
2. **अमानत राशि तथा सुरक्षा निधि** :– अमानत राशि रू. **03 लाख** की **डिमांड ड्राफ्ट** चेक, **अधिष्ठाता, स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़** (छ.ग.) के नाम पर हो एवं जो भारतीय स्टेट बैंक अथवा अनुसूचित बैंक से जारी किया गया हो, तैयार कर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
3. वैध फर्म पंजीयन प्रमाण पत्र (दुकान स्थापना के पंजीयन का प्रमाण पत्र) की छायाप्रति स्वहस्ताक्षरित एवं संस्थान का सील सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
4. फर्म/प्रोपराईटर का पैन कार्ड की स्वहस्ताक्षरित तथा **विगत तीन वित्तीय वर्षों का आयकर रिटर्न** एवं कर समाशोधन (Tax Clearing) प्रमाण पत्र की छायाप्रति स्वहस्ताक्षरित एवं संस्थान के सील सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
5. फर्म का जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं नवीनतम जी.एस.टी. रिटर्न फाईल की स्वहस्ताक्षरित एवं संस्थान के सील सहित छायाप्रति प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
6. निविदादाता के पास शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय/300 या अधिक बिस्तर वाले शासकीय चिकित्सालय /अन्य शासकीय संस्थान में सफलतापूर्वक सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने हेतु कम से कम 03 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। तत्संबंध में सक्षम प्राधिकारी/संस्थान द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र एवं प्रदर्शन प्रमाण पत्र एवं कार्य–आदेश की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है जिस पर निविदादाता के स्वहस्ताक्षरित एवं संस्थान का सील मोहर अंकित होना अनिवार्य होगा।
7. विगत तीन वित्तीय वर्षो का औसत वार्षिक टर्न–ओवर प्रमाण पत्र जो 02 करोड़ से अधिक का हो एवं चार्टेड एकाउंट से अभिप्रमाणित हो प्रमाण–पत्र **अनुलग्न–03** प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
8. आवेदनकर्ता फर्म/कंपनी/एजेंसी का ई.पी.एफ. और ई.एस.आई.सी. वैध पंजीयन होना अनिवार्य है एवं प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित एवं संस्थान का सील मोहर सहित छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
9. आवेदनकर्ता फर्म/कंपनी/एजेंसी के पास आई.एस.ओ. प्रमाण पत्र **ISO 9001:2008/ OHSAS18001:2007/ ENISO14001:2004** एवं अन्य समतुल्य आई.एस.ओ. प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है तथा इसकी स्वहस्ताक्षरित एवं संस्थान का सील मोहर सहित छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
10. निविदादाता के पास छत्तीसगढ़ राज्य से निजी सुरक्षा एजेंसी विनियमन अधिनियम **2005 (PSARA)** के तहत वैध लाइव लाइसेंस प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
11. निविदादाता फर्म/कंपनी/एजेंसी को पिछले वित्तीय वर्षों में केन्द्र/राज्य सरकार के किसी भी संस्था द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है का **शपथ पत्र**, राशि रू. **50** के स्टाम्प पेपर पर नोटरी से अभिप्रमाणित सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

12. फर्म के विरूद्ध किसी भी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया लंबित न हो के संबंध में **शपथ–पत्र, राशि रू. 10 के स्टाम्प पर नोटरी** की मूल प्रति प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
13. निविदा की समस्त नियम एवं शर्तों को स्वीकार करने संबंधी, **शपथ पत्र,** राशि रू. **50** के स्टाम्प पर नोटरी की मूल प्रति प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
14. निविदा प्रपत्र के समस्त पृष्ठों में निविदादाता के अधिकृत व्यक्ति द्वारा स्वहस्ताक्षरित एवं संस्थान का सील/मुहर **सहित** प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

**(02) ई–प्रोक्योरमेंट साईट** www.eproc.cgstate.gov.in **के माध्यम से ऑनलाईन प्राईस बीड निम्न शर्त अनुसार प्रस्तुत किया जाना होगा –**

1. ऑफ लाईन प्राईस बीड स्वीकार्य नहीं होगा।
2. ई.पी.एफ., ई.एस.आई.सी. का भुगतान शासकीय नियमानुसार किया जावेगा एवं शासन द्वारा प्रचलित समय–समय पर संशोधित आदेशानुसार ई.पी.एफ., ई.एस.आई.सी. का भुगतान किया जावेगा।
3. ऑपरेशनल चार्ज, में कर्मचारियों को दिए जाने वाले बोनस, अवकाश वेतन, वर्दी, किट, बीमा एवं निविदाकर्ता का लाभांश इत्यादि शामिल होगा।
4. सुरक्षा व्यवस्था हेतु विभिन्न वर्ग के लिए न्यूनतम मासिक मजदूरी/वेतन भुगतान कलेक्टर जिला–रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा निर्धारित " जोन 'ब' " एवं श्रमिकों के वर्ग अनुसार देय होगा, जिसका पुनरीक्षण समय–समय पर कलेक्टर जिला–रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा जारी आदेशों के अधीन होगा।
5. कलेक्टर जिला–रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा "जोन 'ब' " एवं श्रमिकों के वर्ग अनुसार निर्धारित न्यूनतम मासिक वेतन को मान्य करते हुए "ऑपरेशनल चार्ज" समस्त वर्ग के लिए एकसमान प्रतिशत में निम्नानुसार कॉलम 03 में प्रस्तुत करना है। **(कार्यालय कलेक्टर, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) के पत्र क्रमांक/8343/वित्त–लेखा/2022, रायगढ़ दिनांक 13 अक्टूबर द्वारा प्रचलित दर की छायाप्रति संलग्न है। इसके आधार पर ही ऑपरेशनल चार्ज एकसमान प्रतिशत में प्रस्तुत करना है।)**

| S.No. | Particular | Operational Charge to Quote In Percentage On Basis of Per Person Per Month |
|---|---|---|
| *01* | *02* | *03* |
| 01 | **Operational Charge for supply of Manpower : -** | |
| | 1. Security Officer (Highly Skilled) | |
| | 2. Security Supervisor (Skilled) | |
| | 3. Security Guard (Unskilled) | |
| | 4. Bouncer (Skilled) | |

6. सुरक्षा व्यवस्था हेतु ई–प्रोक्योरमेंट साईट www.eproc.cgstate.gov.in के माध्यम से समस्त वर्गों के लिए प्राईस बीड के अंतर्गत "ऑपरेशनल चार्ज" प्रति व्यक्ति प्रति माह के आधार पर एक ही प्रतिशत में उक्त प्रारूप अनुसार ऑनलाईन प्रस्तुत किया जाना है।
7. ऑपरेशनल चार्ज प्रति व्यक्ति प्रति माह के दर से प्रतिशत में दर्शाना अनिवार्य है एवं ऑपरेशनल चार्ज हेतु प्रस्तुत दर प्रतिशत दशमलव के एक अंक ही तक प्रस्तुत किया जाना है। (उदाहरण 1.0 या 2.0 या 1.4 या 1.6)।

**निविदा निर्धारण की प्रक्रिया –**

निविदा प्रक्रिया के अंतर्गत "न्यूनतम निविदा दर" का निर्धारण निम्नानुसार किया जावेगा :–

1. निविदा के अंतर्गत **प्रथम चरण** में निविदादाता द्वारा ई–प्रोक्योरमेंट साईट www.eproc.cgstate.gov.in के माध्यम से प्रस्तुत अर्हता संबंधी दस्तावेज को ऑनलाईन खोला जाएगा एवं अवलोकन किया जाएगा। उक्त प्री–क्वालिफिकेशन बीड में पात्र निविदादाता को अगले चरण अर्थात् प्राईस बीड के लिए योग्य घोषित किया जावेगा।

2. निविदा के अंतर्गत **द्वितीय चरण** के अंतर्गत प्री–क्वालिफिकेशन बीड में पात्र निविदादाता द्वारा ई–प्रोक्योरमेंट साईट www.eproc.cgstate.gov.in के माध्यम से विभिन्न वर्गों के लिए प्रस्तुत प्राईस बीड (जिसमें समस्त वर्ग के लिए केवल ऑपरेशनल चार्ज एकसमान प्रतिशत में प्रस्तुत करना है) को खोला जावेगा एवं अवलोकन किया जावेगा।

3. सुरक्षा व्यवस्था हेतु प्राईस बीड के अंतर्गत समस्त वर्गों के लिए दर्शाया गया "ऑपरेशनल चार्ज" भिन्न भिन्न ना होकर प्रतिशत एकसमान होगा।

4. निविदादाताओ द्वारा प्राईस बीड के अंतर्गत प्रस्तुत "ऑपरेशनल चार्ज" का ई–प्रोक्योरमेंट साईट www.eproc.cgstate.gov.in के माध्यम तुलनात्मक प्रपत्र तैयार कर "न्यूनतम निविदा दर" का निर्धारण किया जावेगा।

5. ई–प्रोक्योरमेंट साईट www.eproc.cgstate.gov.in के माध्यम से तैयार किये गए उक्त न्यूनतम तुलनात्मक प्रपत्र में यदि दो या दो से अधिक फर्म/कंपनी/एजेंसी द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर समतुल्य पाया जाता है तो न्यूनतम निविदादाता का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जावेगा।

   (1) शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय/शासकीय चिकित्सालय/शासकीय संस्थान में पूर्ण 04 वर्ष का अनुभव – 02 अंक।

   (2) शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय/शासकीय चिकित्सालय/शासकीय संस्थान में पूर्ण 05 वर्ष का अनुभव – 04 अंक।

   (3) शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय/शासकीय चिकित्सालय/शासकीय संस्थान में पूर्ण 06 वर्ष एवं इससे अधिक वर्ष का अनुभव – 05 अंक।

   **उपरोक्तानुसार निर्धारण पश्चात् भी यदि दो या दो से अधिक निविदादाता का अंक समतुल्य पाया जाता है तो "शासकीय चिकित्सालय में जिस निविदादाता का अनुभव अधिक होगा", को प्राथमिकता दिया जावेगा।**

6. उक्त न्यूनतम निविदा दर प्रदायकर्ता फर्म/कंपनी/एजेंसी को सफल निविदादाता मान्य करते हुए अनुबंध निष्पादित करने एवं कार्य–आदेश जारी करने की प्रक्रिया की जावेगी।

**10.** सफल निविदादाता द्वारा प्रस्तुत देयकों के भुगतान की गणना निम्न प्रारूप अनुसार किया जावेगा –

| S.No. | Particular | Minimum Wages (As per Norms) (Per Person Per Month Basis) | Operation Charge (Per Person Per Month) (In Percentage) | EPF (As per Norms) | ESIC (As per Norms) | GST (As Per Govt. Norms) | Total ( Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *01* | *02* | *03* | *04* | *05* | *06* | *07* | *08* |
| 01 | Security Officer (Highly Skilled) | सुरक्षा व्यवस्था हेतु विभिन्न वर्ग के लिए मजदूरी/वेतन भुगतान कलेक्टर जिला– रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा निर्धारित " जोन 'ब' " एवं श्रमिको के वर्ग अनुसार प्रति व्यक्ति प्रति माह अनुसार देय होगा। | ऑपरेशनल चार्ज प्राईस बीड में प्राप्त न्यूनतम दर प्रतिशत अनुसार गणना किया जावेगा। | शासकीय नियमानुसार भुगतान किया जावेगा। | शासकीय नियमानुसार भुगतान किया जावेगा। | शासकीय नियमानुसार भुगतान किया जावेगा। | |
| 02 | Security Supervisor (Skilled) | | | | | | |
| 03 | Security Guard (Unskilled) | | | | | | |
| 04 | Bouncer (Skilled) | | | | | | |

**10.1** **न्यूनतम मासिक मजदूरी/वेतन :–** सुरक्षा व्यवस्था हेतु विभिन्न वर्गों के लिए न्यूनतम मासिक वेतन का भुगतान कलेक्टर जिला – रायगढ़ (छत्तीसगढ़) द्वारा निर्धारित "जोन 'ब' " एवं श्रमिकों के वर्ग अनुसार **प्रति व्यक्ति प्रति माह** अनुसार न्यूनतम मासिक वेतन देय होगा। एवं समय–समय पर कार्यालय कलेक्टर, जिला रायगढ़ (छत्तीसगढ़ ) द्वारा पुनरीक्षित वेतन अनुसार देय होगा।

**10.2** **ऑपरेशनल चार्ज :–** कलेक्टर जिला – रायगढ़ (छत्तीसगढ़) द्वारा निर्धारित "जोन 'ब' " एवं श्रमिकों के वर्ग अनुसार **प्रति व्यक्ति प्रति माह** अनुसार निर्धारित न्यूनतम मासिक वेतन को मान्य करते हुए समस्त वर्गों के लिए एकसमान प्रतिशत में प्रस्तुत ऑपरेशनल चार्ज अनुसार देय होगा।

**10.3** **ई.पी.एफ./ई.एस.आई.सी. :–** ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. का भुगतान शासकीय नियमानुसार किया जावेगा एवं समय–समय पर शासन द्वारा लागू दर अनुसार देय होगा।

**10.4** **जी.एस.टी. :–** जी.एस.टी. का भुगतान शासकीय नियमानुसार किया जावेगा।

16/8/23

**अधिष्ठाता**
**स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय**
**चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.)**

# अनुलग्न : 01

## सुरक्षा कर्मी/सुरक्षा गार्ड के लिए निर्धारित योग्यता :–

1. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :– $10^{th}/12^{th}$ (10+2) उत्तीर्ण
2. न्यूनतम ऊचाई पुरूष हेतु :– 5'.6" एवं नियमानुसार छूट प्रदान किया जाना होगा।
3. महिला कर्मचारियों हेतु ऊचाई में आवश्यकतानुसार छूट प्रदान किया जाना होगा।
4. उम्र 21 से 45 तक ( वरिष्ठ गार्ड/सुरक्षा सुपरवाईजर/सुरक्षा अधिकारी को छोड़कर )
5. शारीरिक एवं मानसीक रूप से स्वस्थ्य होना अनिवार्य है।
6. मिर्गी, तपेदिक, एच.आई.व्ही./एड्स, टी.व्ही या अन्य किसी संक्रामक रोग जैसी पुरानी बीमारियों से पीड़ित नहीं होना चाहिए।
7. सुरक्षा गार्ड/सुरक्षा सुपरवाईजर/सुरक्षा अधिकारी का कानूनी रूप से किसी भी प्रकार का सजा या अभियोग का पिछला रिकार्ड नहीं होना चाहिए एवं सभी कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन होना अनिवार्य है।
8. सुरक्षा अधिकारी, भूतपूर्व सैनिक होना अनिवार्य है।

## सुरक्षा अधिकारी का कर्तव्य एवं दायित्व :–

1. सुरक्षा अधिकारी, स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.) एवं संत बाबा गुरू घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय रायगढ़ (छ.ग.), बालक–बालिका छात्रावास, आवासीय परिसर एवं संस्थान की आवश्यकतानुसार अन्य स्थानों की सुरक्षा एवं महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के अधिकारी, कर्मचारी, छात्र–छात्राओं, मरीजों और उनके परिजनों की चल अचल संपत्तियों, सामग्रियों की सुरक्षा के लिए चौबीसों घंटे 24x7 सुरक्षा सेवा प्रदान करना एवं सुरक्षा कर्मचारियों के साथ प्रभावी संचार व्यवस्था बनाये रखना।
2. सुरक्षा कार्यों के सुचारू रूप से संचालन हेतु सुरक्षा अधिकारी द्वारा अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय तथा संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, चिकित्सालय को प्रतिमाह प्रतिवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. सुरक्षा अधिकारी अन्य आवश्यक रजिस्टर का संधारण करेगा। जिसमें महाविद्यालय, चिकित्सालय एवं परिसर से संबंधित समस्त घटनाओं को दर्ज करेगा एवं घटनाओं के आधार पर उसका निवारण/उचित कार्यवाही करना अनिवार्य होगा। आवश्यक समस्त स्टेशनरी की आपूर्ति निविदादाता द्वारा किया जावेगा।
4. सुरक्षा अधिकारी को महाविद्यालय, चिकित्सालय, छात्रावास एवं आवासीय परिसर में स्थित वाहनों, सामग्रियों एवं व्यक्तियों के आवागमन का उचित प्रलेख रखना अनिवार्य है।
5. सुरक्षा अधिकारी को (आवश्यकता की स्थिति में) अपने कार्यस्थल के समीपस्थ पुलिस थाना के साथ अच्छे संबंध बनाये रखना अनिवार्य होगा।
6. सुरक्षा अधिकारी को महाविद्यालय, चिकित्सालय, छात्रावास, आवासीय परिसर से संबंधित घटनाओं हेतु संबंधित वरिष्ठ अधिकारी का मोबाईल नम्बर रखना अनिवार्य होगा एवं संबंधित अधिकारी से चर्चा कर घटनाओं का निवारण/आवश्यक कार्यवाही करना अनिवार्य है।
7. सुरक्षा अधिकारी द्वारा नवीन सुरक्षा कर्मचारियों को पदग्रहण के पूर्व अच्छे से प्रशिक्षित करना अनिवार्य है।
8. सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ सुरक्षा कर्मी को अग्निशमन यंत्र एवं संचार कौशल आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने में सक्षम होना अनिवार्य है।

9. सुरक्षा अधिकारी को पुलिस कर्मचारी एवं संबंधित अस्पताल के कर्मचारियों के साथ समस्त मेडिको लिगल केस हेतु दस्तावेजीकरण में सहायता प्रदान करना अनिवार्य हेागा।

10. सुरक्षा अधिकारी को चालान/गेट पास/प्रवेश पास के माध्यम से समस्त सामग्रियों और मरीजों/परीजनों एवं अन्य आगंतुको प्रवेश और निकास को सुनिश्चित करना और उसी का रिकार्ड का संधारण करना होगा।

11. सुरक्षा अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि अधीनस्थ समस्त सुरक्षा कर्मी वर्दी सहित अपने कर्तव्य पर उपस्थित है।

12. सुरक्षा अधिकारी अपने अधीनस्थ सुरक्षा कर्मी को प्रत्येक सुरक्षा चौकी से संबंधित सुरक्षा संबंधी जानकारियों से अवगत करायेगा। वाहनों की आवाजाही, वैलेट पार्किंग वाहनों की आवाजाही, सामग्री की आवाजाही, कर्मचारियों की आवाजाही के रजिस्टरों को ठीक तरह से संधारण करायेगा।

13. सुरक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अधीनस्थ सुरक्षा कर्मी किसी भी मरीजों/परीजनों एवं अन्य किसी व्यक्ति से रिश्वत की मांग करने में शामिल ना हो।

14. सुरक्षा अधिकारी अपने संपूर्ण कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान होगा।

<u>सुरक्षा गार्ड/सुरक्षा कर्मी का दायित्व एवं कर्तव्य</u> :–

1. सुरक्षा गार्डों को कर्तव्य के दौरान उचित साफ–सुथरे वर्दी धारण करना अनिवार्य है।
2. किसी भी अजनबी को बिना किसी कारण के चिकित्सालय एवं महाविद्यालय में प्रवेश नहीं करने देगा।
3. महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के समस्त अधिकारी/कर्मचारी एवं वरिष्ठ व्यक्तियों से विनम्रता एवं शिष्टापूर्वक व्यवहार करेगा।
4. अपने संपूर्ण कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान होगा।
5. सुरक्षा गार्ड अपने कर्तव्य स्थल को तब तक नही छोड़ेगा जब तक उसका एवजीदार/द्वितीय पाली का सुरक्षा गार्ड उस स्थल पर उपस्थित ना हो जावे।
6. बिना गेट पास या उचित और वैध दस्तावेजों के बिना किसी को भी कोई भी सामग्री बाहर ले जाने नहीं देगा। इस संबंध में महाविद्यालय, चिकित्सालय के अधीनस्थ संबंधित विभाग/शाखा से संपर्क करना अनिवार्य होगा।
7. सुरक्षा गार्ड को अपने कर्तव्य के दौरान आवश्यकतानुसार कार्यालय के लाईट, पंखा, दरवाजा, खिड़की इत्यादि को बंद करना अनिवार्य होगा।
8. वाहनों के आवाजाही हेतु रजिस्टर का संधारण करना एवं आगुंतको के आवाजाही हेतु रजिस्टर का संधारण करना अनिवार्य होगा।
9. किसी भी वर्जित वस्तु को अंदर ले जाने नहीं देगा। महाविद्यालय एवं चिकित्सालय परिसर की कोई भी वस्तु बिना सक्षम अनुमति के बाहर ले जाने नहीं देगा।
10. अधिकारी/कर्मचारी/मरीज/अटेंडेंट/स्टाफ/छात्र–छात्राओं से दुर्व्यहार/अनावश्यक बहस नहीं करेगा अन्यथा आवश्यक कार्यवाही किया जावेगा जिसके लिए सफल निविदादाता स्वयं जिम्मेदार होगा।
11. कर्तव्य के दौरान हमेशा सतर्क होना अनिवार्य है।
12. सुरक्षा–गार्ड को जरूरतमंदों की हर संभव मदद करना अनिवार्य होगा।

<u>अनुलग्न : 02</u>

(अ) स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.) में सुरक्षा व्यवस्था हेतु आवश्यक सुरक्षा अधिकारी/बाउंसर/सुरक्षा सुपरवाईजर एवं सुरक्षा कर्मी का विवरण

| क्रं. | विभाग/शाखा | विवरण (निर्धारित मानक) | आवश्यक संख्या | रिमार्क |
|---|---|---|---|---|
| 01 | सुरक्षा अधिकारी | | 1 | |
| 02 | बाउंसर | अधिष्ठाता, के सुरक्षा हेतु आवश्यकतानुसार ही रखा जावेगा। | 1 | |
| 03 | सुरक्षा सुपरवाईजर | - | 3 | |
| 04 | चिकित्सा महाविद्यालय के प्रत्येक प्रवेश द्वार पर | तीनो पालीयों में एक–एक सुरक्षा कर्मी | | |
| | (A) मेन गेट क्रमांक–01 | - | 3 | |
| | (B) मेन गेट क्रमांक–02 | - | 3 | |
| | (C) मेन गेट क्रमांक–03 | - | 3 | |
| | (D) महाविद्यालय भवन का मुख्य द्वार | - | 3 | |
| | (E) महाविद्यालय भवन के पीछे का द्वार | - | 3 | |
| 05 | चिकित्सा महाविद्यालय पार्किंग | तीनो पालीयों में एक–एक सुरक्षा कर्मी | 3 | |
| 06 | चिकित्सा महाविद्यालय लाईब्रेरी | सुबह एवं शाम की पाली में एक एक सुरक्षा कर्मी | 2 | |
| 07 | चिकित्सा महाविद्यालय ऑडिटोरियम | तीनो पालीयों में एक–एक सुरक्षा कर्मी | 3 | |
| 08 | अधिष्ठाता कार्यालय | कार्यालयीन समय पर एक सुरक्षा कर्मी | 2 | दो पालीयों में एक–एक सुरक्षा कर्मी |
| 09 | छात्र छात्रावास | तीनो पालीयों में एक–एक सुरक्षा कर्मी | | |
| | यू.जी. छात्र छात्रावास | - | 3 | |
| | जे.आर. छात्रावास | - | 3 | |
| 10 | छात्रा छात्रावास | तीनो पालीयों में एक–एक सुरक्षा कर्मी | | |
| | यू.जी. छात्रा छात्रावास | - | 3 | |
| | जे.आर. छात्रा छात्रावास | - | 3 | |
| | नर्सिंग छात्रावास | - | 3 | |
| 11 | चिकित्सक आवासीय परिसर | तीनो पालीयों में एक–एक सुरक्षा कर्मी | | |
| | अधिष्ठाता बंगला | - | 3 | |
| | एम.एस. बंगला | - | 3 | |
| | (A) टाईप–3 | - | 3 | |
| | (B) टाईप–4 (A&B) | - | 3 | |
| | (C) टाईप–5 (A&B) | - | 3 | |
| 12 | स्टाफ आवासीय परिसर | तीनो पालीयों में एक–एक सुरक्षा कर्मी | | |
| | टाईप–6 एवं टाईप–7 | - | 3 | |
| | | **योग** | **63** | |

**नोट :** सुरक्षा अधिकारी/बाउंसर/सुरक्षा सुपरवाईजर एवं सुरक्षाकर्मी की संख्या में आवश्यकतानुसार कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है।

(ब) संत बाबा गुरू घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय रायगढ़ (छ.ग.) में सुरक्षा व्यवस्था हेतु आवश्यक सुरक्षा अधिकारी/बाउंसर/सुरक्षा सुपरवाईजर एवं सुरक्षा कर्मी का विवरण है :–

| क्रमांक | विभाग / शाखा | विवरण | आवश्यक संख्या | रिमार्क |
|---|---|---|---|---|
| 01 | सुरक्षा अधिकारी | | 01 | |
| 02 | बाउंसर | अधीक्षक कार्यालय एवं कैजुअल्टी के सुरक्षा हेतु आवश्यकतानुसार ही रखा जावेगा। | 03 | |
| 03 | सुरक्षा सुपरवाईजर | | 03 | |
| 04 | चिकित्सालय के प्रत्येक प्रवेश द्वार पर | तीनों पालियों में 1–1 सुरक्षाकर्मी | 09 | |
| 05 | चिकित्सालय के चिकित्सक, स्टाफ पार्किंग एवं परिजन, प्रत्येक पार्किंग स्थल पर | सुबह 02 एवं शाम तथा रात्रिकालीन में 1–1 सुरक्षाकर्मी | 12 | |
| 06 | चिकित्सालय के मेडिकल गेस प्लांट | तीनों पालियों में 1–1 सुरक्षाकर्मी | 03 | |
| 07 | अधीक्षक कार्यालय | कार्यालयीन समय पर एक सुरक्षाकर्मी | 01 | |
| 08 | एम.आर.आई.रूम हेतु | तीनों पालियों में 1–1 सुरक्षाकर्मी | 03 | |
| 09 | सी.टी. स्कैन रूम हेतु | तीनों पालियों में 1–1 सुरक्षाकर्मी | 03 | |
| 10 | एक्स–रे / सोनोग्राफी रूम हेतु | तीनों पालियों में 1–1 सुरक्षाकर्मी | 06 | |
| 11 | आपात चिकित्सा अधिकारी कक्ष | तीनों पालियों में 1–1 सुरक्षाकर्मी | 03 | |
| 12 | आपात चिकित्सा विभाग/इमरजेंन्सी विभाग | तीनों पालियों में 2–2 (1 महिला एवं 1 पुरूष) सुरक्षाकर्मी | 06 | |
| 13 | शव परीक्षण कक्ष (मरच्युरी), फारेंसिक मेडिसीन विभाग | कार्य अवधि अनुसार सुरक्षाकर्मी | 02 | सुबह शाम 1–1 सुरक्षाकर्मी |
| 14 | पैथोलॉजी विभाग, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबॉयोलॉजी (Centralized Lab) | तीनों पालियों में 1–1 सुरक्षाकर्मी | 09 | प्रत्येक विभाग हेतु अलग–अलग सुरक्षाकर्मी |
| 15 | मेडिकल रिकार्ड विभाग | कार्य अवधि अनुसार सुरक्षाकर्मी | 02 | सुबह शाम 1–1 सुरक्षाकर्मी |
| 16 | ऐडवांस कार्डियक इस्टिट्यूट कैथ लैब | तीनों पालियों में 1–1 सुरक्षाकर्मी | 03 | |
| 17 | ब्लड बैंक | तीनों पालियों में 1–1 सुरक्षाकर्मी | 03 | |
| 18 | चिकित्सालय के प्रत्येक आईसीयू, आईसीसीयू, एमआइसीयू, सीसीयू, पीआइसीयू, एनआइसीयू,बर्न आईसीयू , प्रसूता आईसीयू आदि हेतु | तीनों पालियों में 1–1 सुरक्षाकर्मी | 18 | |
| 19 | लेबर रूम स्त्री एवं प्रसूती रोग विभाग | तीनों पालियों में 2–2 महिला सुरक्षाकर्मी | 06 | |
| 20 | वर्तमान में चिकित्सालय के विभिन्न विभाग, वार्ड, आईसीयू आदि में कुल 650 बिस्तर उपलब्ध है, उक्त बिस्तरों के अनुपात के लिए सुरक्षा व्यवस्था हेतु मानक निर्धारण अनुसार सुरक्षा कर्मीयों की आवश्यकता | तीनों पालियों में 1–1 सुरक्षाकर्मी | 65 | |
| 21 | ओ.टी. कॉम्पलेक्स I & II | तीनों पालियों में 1–1 सुरक्षाकर्मी | 06 | |
| | | कुल योग | 167 | |

**नोट :** सुरक्षा अधिकारी/बाउंसर/सुरक्षा सुपरवाईजर एवं सुरक्षाकर्मी की संख्या में आवश्यकतानुसार कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है।

# अनुलग्न : 03

**On the letter pad of Chartered Accountant**

This is to certify that the total turnover in the case of M/s.................................................
having PAN ....................................................... is as under:

| Financial Year/Period | Amount in Rupees (Figures) | Amount in Rupees (words) |
|---|---|---|
| 2019-20<br><br>2020-21<br><br>2021-22 | | |
| **Total** | | |

**Average= Total/3**

It is further certified that the above mentioned amounts have been derived from the books of accounts presented before us for the above mentioned periods.

**Chartered Accountants**

| |
|---|
| कर्मचारी का नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो स्वहस्ताक्षरित |

## अनुलग्न : 04

## बायोडाटा

1. कर्मचारी का नाम :
   (हिन्दी) ..........................................................................
   (अंग्रेजी) ..........................................................................
2. पिता का नाम : ..........................................................................
3. माता का नाम : ..........................................................................
4. जन्म तिथि : ..........................................................................
5. कर्मचारी का उम्र : ..........................................................................
6. कर्मचारी की ऊंचाई : ..........................................................................
7. कर्मचारी का पद नाम :..........................................................................
8. कर्मचारी का मोबाईल नम्बर :..........................................................................
9. आधार नम्बर : ..........................................................................
10. मतदाता परिचय पत्र क्रमांक :..........................................................................
11. कर्मचारी का ई.पी.एफ. :..........................................................................
12. कर्मचारी का ई.एस.आई.सी. नम्बर :..........................................................................
13. कर्मचारी का बैंक खाता क्रमांक :..........................................................................
14. कर्मचारी का वर्तमान पता : ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
15. कर्मचारी का स्थायी पता : ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
16. कर्मचारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र :..........................................................................
17. कर्मचारी का पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र : ..........................................................................
    (दस्तावेज संलग्न अनिवार्य है)
18. कर्मचारी की शैक्षणिक योग्यता : ..........................................................................
19. कर्मचारी का कोविड वैक्शिनेशन प्रमाण पत्र :..........................................................................
    (दस्तावेज संलग्न अनिवार्य है)

**निविदादाता का हस्ताक्षर**
**संस्थान का सील/मोहर सहित**

**कर्मचारी का हस्ताक्षर**

# कार्यालय कलेक्टर, जिला–रायगढ़ (छ.ग.)

## //आदेश//

क्रमांक / 8843 / वित्त–लेखा / 2022, रायगढ़, दिनांक 13 अक्टूबर 2022

श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर के पत्र क्रमांक / आठ / न्यू.वे. / श्र.आ. / 2022 / 5810, दिनांक 28.09.2022 के साथ संलग्न पुस्तिका के अनुसूची 'ग' में विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के मासिक एवं दैनिक न्यूनतम वेतन तथा उस पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता भी शामिल है, निर्धारित किया गया है, के परिप्रेक्ष्य में छ.ग. वित्त संहिता भाग–2 के परिशिष्ठ–6 के नियम 43 में निहित प्रावधानों एवं छ.ग. शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्र. 303 / आर / 577 / 92 / नि–5 / चार दिनांक 30.06.1992 तथा छ.ग. राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा–2 (घ) में निहित शक्तियों के अनुसार मैं श्रीमती रानू साहू, भा.प्र.से. कलेक्टर, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) जिले के विभिन्न विभागों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिए मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें दिनांक 01.10.2022 से 31.03.2023 तक के लिए निर्धारित करता हूँ :–

| क्र | श्रमिकों का वर्ग | जोन का नाम | न्यूनतम मूल वेतन | | परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता | | कुल वेतन (आंकड़े रू.में) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | प्रतिमाह | प्रतिदिन | प्रतिमाह | प्रतिदिन | प्रतिमाह | प्रतिदिन |
| 1 | अकुशल | ब | 8060.00 | 268.67 | 1900.00 | 63.33 | 9960.00 | 332.00 (332) |
| | | स | 7800.00 | 260.00 | 1900.00 | 63.33 | 9700.00 | 323.33 (323) |
| 2 | अर्द्धकुशल | ब | 8710.00 | 290.33 | 1900.00 | 63.33 | 10610.00 | 353.67 (354) |
| | | स | 8450.00 | 281.67 | 1900.00 | 63.33 | 10350.00 | 345.00 (345) |
| 3 | कुशल | ब | 9490.00 | 316.33 | 1900.00 | 63.33 | 11390.00 | 379.67 (380) |
| | | स | 9230.00 | 307.67 | 1900.00 | 63.33 | 11130.00 | 371.00 (371) |
| 4 | उच्च कुशल | ब | 10270.00 | 342.33 | 1900.00 | 63.33 | 12170.00 | 405.67 (406) |
| | | स | 10010.00 | 333.67 | 1900.00 | 63.33 | 11910.00 | 397.00 (397) |

टीप :–

- **जोन 'ब'–** नगर पालिक निगम रायगढ़ सीमा के भीतर एवं नगर निगम सीमा से 08 किलोमीटर तक का क्षेत्र।
- **जोन 'स' –** उपरोक्त अ एवं ब में उल्लेखित क्षेत्र को छोड़कर जिले के शेष समस्त क्षेत्र।
- उपरोक्त न्यूनतम मजदूरी की दरें जिले के वेबसाईट www.raigarh.gov.in एवं श्रम विभाग के वेबसाईट www.cglabour.gov.in पर भी उपलब्ध है, जिसमें उच्च कुशल वर्ग के संबंध में भी अवलोकन किया जा सकता है।

नियम एवं शर्तें / टीप :–

1/ वर्कचार्ज कंटीजेंसी पेड एम्पलाई पर उपयुक्त दरें प्रभावशील नहीं होगी।

2/ इस अधिसूचना द्वारा जो मासिक वेतन निर्धारित किया गया है, वह कैलेण्डर मास की समाप्ति पर देय होगा। यदि किसी कर्मचारी ने अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियम के अनुसार संबंधित कैलेण्डर मास के समस्त अवकाश के दिनों का लाभ उठाया हो और यदि किसी सन्दर्भ में एक दिन का वेतन संगणित करना हो तो उपरोक्तानुसार निर्धारित मासिक वेतन को 26 से भाग देकर संगणित करेगा।



निरन्तर .....................

3/ उपरोक्त बढ़ी हुई दर संबंधित सभी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए निर्धारित की गई है। यदि कोई श्रेणी अवशेष रहता हो तो अकुशल श्रेणी के लिए रूपये 9700/–, अर्द्धकुशल के लिए रूपये 10350/–, कुशल के लिये रूपये 11130/– एवं उच्च कुशल के लिए रूपये 11910/– प्रतिमाह के मान से देय होगा।

4/ उपर्युक्त सभी न्यूनतम दरें स्त्री/पुरूष को समान रूप से देय होगी।

5/ वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 303/आर/577/92/नि.–5/चार दिनांक 30.06.1992 की कंडिका (क) (चार) के अनुसार यदि किसी पद वेतन अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले किसी नियोजनों के अधीन समतुल्य पद के लिए निर्धारित वेतन से अधिक निर्धारित है तो उसमें तब तक कोई वृद्धि नहीं की जावेगी जब तक कि अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित न्यूनतम वेतन की दरें उसके बराबर नहीं हो जाता।

6/ अधिसूचित न्यूनतम वेतन में परिवर्तनशील मंहगााई भत्ता भी शामिल है, इसलिए दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों को अतिरिक्त रूप से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता की पात्रता नहीं है।

7/ जो मासिक वेतन निर्धारित किया गया है, वह कलैण्डर माह की समाप्ति पर देय होगी, मासिक मजदूरी पर नियुक्त कर्मचारी को सप्ताह के एक दिन का वेतन सहित अवकाश की पात्रता होगी।

(श्रीमती रानू साहू)
कलेक्टर
जिला–रायगढ़ (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/8845/वित्त–लेखा./2022, रायगढ़, दिनांक 13 अक्टूबर 2022

प्रतिलिपि :–

1/ सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर जिला रायपुर।

2/ श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर।
–– की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

3/ समस्त कलेक्टर.................................................. छत्तीसगढ़।

4/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रायगढ़ (छ.ग.)

5/ सर्व कार्यालय/विभाग प्रमुख, जिला रायगढ़ (छ.ग.)

6/ वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय रायगढ़ (छ.ग.)

7/ आयुक्त, नगर पालिक निगम रायगढ़ (छ.ग.)

8/ सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला रायगढ़ (छ.ग.)

9/ सर्व प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, जिला रायगढ़ (छ.ग.)

10/ सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी/नगर पालिक/नगर पंचायत, जिला रायगढ़ (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

11/ जिलाा सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, जिला कार्यालय रायगढ़ (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया जिले के वेबसाईट www.raigarh.gov.in में अपलोड करना सुनिश्चित करें।

12/ सहायक संचालक, जनसम्पर्क, जिला रायगढ़ (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं निःशुल्क प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

(श्रीमती रानू साहू)
कलेक्टर
जिला–रायगढ़ (छ.ग.)